



MATHURA POLICE



दिनांक – 21.08.2025

"ऑपरेशन कन्विकशन"

थाना राया

श्रीमान पुलिस महानिदेशक उ०प्र० द्वारा चलाये जा रहे "ऑपरेशन कन्विकशन" अभियान के क्रम में मथुरा पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी कर मा० न्यायालय ईसी एक्ट मथुरा द्वारा दोषमिद्ध अपराधियों को आजीवन कारावास व 30,000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

श्रीमान पुलिस महानिदेशक महोदय, उ०प्र० द्वारा प्रदेश भर में चलाये जा रहे अभियान "ऑपरेशन कन्विकशन" के अन्तर्गत श्रीमान अपर पुलिस महानिदेशक आगरा जोन आगरा व श्रीमान पुलिस उपमहानिरीक्षक आगरा परिक्षेत्र आगरा द्वारा निरन्तर समीक्षा एवं मार्ग दर्शन दिया जा रहा था। मथुरा पुलिस द्वारा गुणवत्ता पूर्ण विवेचना व लोक अभियोजक के संयुक्त प्रयास से थाना राया मथुरा पर पंजीकृत मु०अ०सं०- 434/2020 धारा 302/34 भादवि में दिनांक 21.08.2025 को मा० न्यायालय ईसी एक्ट मथुरा द्वारा इस प्रकरण में विचरण करते हुए साक्ष्यों के आधार पर अभियुक्तगण 1. सन्दीप पुत्र महावीर 2. पूनम पत्नी शिव कुमार निवासीगण गोरोला थाना टप्पल जिला अलीगढ़ को आजीवन कारावास तथा 30,000/-रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अभियुक्त को सजा दिलाने में मथुरा पुलिस की भूमिका सराहनीय रही।



एडीजीसी मथुरा
श्री अवनीश उपाध्याय



विवेचक
श्री शिवप्रताप सिंह थाना राया



पैरोकार
रवि कुमार थाना राया